न्यायालय भू प्रवन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सॉंखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 40/2014 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :–

1. सुमरदीन पुत्र बसारत खां जाति मेव
2. उमरदीन पुत्र बसारत खां जाति मेव
3. हाकमदीन पुत्र बसारत खां जाति मेव
4. ताहिर पुत्र बसारत खां जाति मेव निवासीयान लालपुर तहसील किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान

:——— अपीलांट्स

बनाम

1 फज्जर खां पुत्र लालजी जाति मेव निवासी लालपुरी तहसील किशनगढबास जिला अलवर

:——— असल रेस्पो0

2 अली मौहम्मद पुत्र सिताब खां जाति मेव निवासी बिदरका तहसील किशनगढबास जिला अलवर

:——— तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्ध आज्ञा व डिक्री उपखंड अधिकारी, किशनगढबास दिनांक 24.6.2014

उपस्थित :–

1. वकील अपीलांट :– सुश्री सुषमा शर्मा
2. वकील असल रेस्पो0 :– श्री जनार्दन शर्मा

निर्णय

दिनांक 12.11.2021

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

1 यह अपील विचारण न्यायालय उपखंड अधिकारी, किशनगढवास द्वारा राजस्व वाद पत्र संख्या 213/2011 अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर0 टी0 एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 24.6.2014, जिसके द्वारा उक्त वाद पत्र अंतिम तौर पर डिक्री किया गया था, के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1956 की धारा 223 के तहत पेश की गई है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी फज्जर खां ने तहत अदालत में विभाजन का वाद पेश कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 328/378 रकबा 15 एयर, 336 रकबा 2.43 हेक्टेयर किता 2 रकबा 2.58 हेक्टेयर वाके ग्राम लालपुरी तहसील किशनगढवास जिला अलवर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 ला0 5 की संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है, जिसमें वादी का 1/2 भाग तथा प्रतिवादी संख्या 01 ला0 5 का 1/2 भाग है । यह आराजी अभी अबट है । सभी पक्षकारान शामलात में काश्त करते हैं, परन्तु अब प्रतिवादीगण वादी को शामलात में काश्त करने में मजाहमत करते हैं । अतः वाद पत्र डिक्री किया जावे । तहत अदालत ने उक्त वाद पत्र निर्णय दिनांक 24.6.2014 के द्वारा अंतिम तौर पर डिक्री किया है, जिससे व्यथित होकर प्रतिवादीगण ने यह अपील पेश की है ।

3 दौराने बहस विद्वान वकील अपीलांट्स ने निवेदन किया कि पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा हो गया है । अतः मुताबिक राजीनामा अपील स्वीकार की जावे ।

4 विद्वान वकील रेस्पो0 ने भी निवेदन किया कि मुताबिक राजीनामा अपील स्वीकार किये जाने में रेस्पोडेण्ट को कोई आपत्ति नहीं है ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा राजीनामा पर गौर किया । साथ ही राजीनामा/स्वीकृति के सम्बन्ध में आदेश 23 नियम 3 सी0 पी0 सी0 तथा आदेश 12 नियम 3 में दिये गये प्रावधानों का भी अध्ययन किया, जिनमें प्रतिपादित किया गया है कि अगर राजीनामा/स्वीकृति पक्षकारों की आपसी सहमति से उनके हस्ताक्षरित लिखित में है तथा किसी कानून से बाधित नहीं है तो राजीनामा/स्वीकृति के अनुसार प्रकरण का निस्तारण कर दिया जाना चाहिये । चूंकि प्रस्तुत प्रकरण में राजीनामा पक्षकारों की आपसी सहमति से उनके हस्ताक्षरित है और किसी कानून से बाधित होना भी नहीं पाया जाता है । ऐसी स्थिति में सी0 पी0 सी0 के इन प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में हम मुताबिक राजीनामा अपील स्वीकार किया जाना न्यायसंगत समझते हैं ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

6 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट्स मुताबिक राजीनामा स्वीकार की जाकर तहत अदालत का निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 24.6.2014 निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण तहत अदालत को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वो राजीनामा के अनुसार प्रकरण में पुरें कायमी तैयार करवाकर अंतिम डिक्री पारित करें । उभयपक्ष वास्ते सुनवाई तहत अदालत में दिनांक 13.12.2021 को उपस्थित हो ।

7 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । राजीनामा की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को भिजवाई जावे । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(अशोक कुमार सोंखला)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील अधिकारी,अलवर